

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
तलतारा भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-23/2011/20-3

भोपाल, दिनांक 28/6/11

प्रति,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय - अशासकीय शिक्षण संस्था प्रक्स वैली स्कूल सिर्गाही रेल्वे स्टेशन, एन.सी. रोड, स्वानियर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-----0000-----

राज्य शासन द्वारा विधायकित संस्था द्वारा आवदन पत्र एक संवत् 2011 के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से संबद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलान के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबन्ध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, स्वानियर (म.प्र.) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था का करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)
28/6/11
(के.आर. सुपाशरणी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(Signature)
Headmistress
Pearls Valley School

(Signature)
Headmistress
Pearls Valley School

24

पृष्ठ संख्या क्रमांक एक 73-23/2011/20-3

प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 28/6/11

1-

सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था पल्लव वैली स्कूल सिंगोली, पल्लव संस्थान, झोसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता/मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

(1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्ड की पूर्ति करती है (अथवा) इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायगा।

(2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिक्षाजल जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2-

3-

4-

आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म.प्र.
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश
ऑर्डर नं. 28/6/11

28/6/11

अलग संकेत

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Rupali
Headmistress
Pearls Valley School

Rupali
Headmistress
Pearls Valley School